उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या-5/2020/2063 /एक-1-2019-1(27)/2017

लखनऊ: दिनॉक: 19 फरवरी, 2020

अधिसूचना

जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर के पत्र संख्या-2624/डी0एल0आर0/2017-18, दिनांक-03.07.2017 व 1075/डी0एल0आर0सी0/2018-19, दिनांक-17.12.2018 के आलोक में व्यापक जनहित के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-77 की उपधारा-2 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल ग्राम बील अकबरपुर तहसील-दादरी जनपद- गौतमबुद्धनगर स्थित लोक प्रयोजन की भूमि गाटा संख्या-107 रकबा 0.2530 हे0 के सशुल्क श्रेणी परिवर्तन किये जाने व भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग सं.एन0.ई0-II(ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे) के नाम दर्ज भूमि गाटा संख्या-442 रकबा 0.0888 हे0 व संख्या-443 रकबा 0.1642 हे0 कुल 02 किता कुल रकबा 0.2530 हे0 से धारा-101 के उपधारा-(2) के परन्तुक के अधीन विनिमय किये जाने की सहर्ष अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1)कब्रिस्तान की भूमि का श्रेणी परिवर्तन/विनिमय परियोजना की अपरिहार्य परिस्थितियों के दृष्टिगत जनहित में ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे हेतु किया जा रहा है।

(2)शासनादेश संख्या-745/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक-03.06.2016 द्वारा निर्धारित श्रेणी परिवर्तन शुल्क निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा कराया जाएगा।

(3)सार्वजनिक उपयोग की भूमि कब्रिस्तान की भूमि का श्रेणी परिवर्तन/विनिमय इस शर्त के अधीन किया जा रहा है कि जिलाधिकारी द्वारा श्रेणी परिवर्तन/विनिमय के समय किसी प्रकार की धार्मिक उत्तेजना अथवा शांति भंग की सम्भावना की स्थिति को पूर्णतः संज्ञान लेते हुए ही उक्त कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

(4)उक्त सभी शर्तों एवं प्रतिबंधों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(5)लोक प्रयोजन की भूमि का श्रेणी परिवर्तन/विनिमय का आदेश प्राप्त होने पर कलेक्टर द्वारा अधिकार अभिलेख (खतौनी) और मानचित्र में तदनुसार संशोधन की कार्यवाही 15 दिन में पूर्ण किया जायेगा।

(6)कलेक्टर कृत कार्यवाही की पूर्ण सूचना शासन तथा आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद को 30 दिन में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

आज्ञा से,

रेणुका कुमार

अपर मुख्य सचिव

-2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 2063(1)/एक-1-2019-1(26)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- आयुक्त मेरठ मण्डल, मेरठ।
4- जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर को उनके पत्र संख्या-2624/डी0एल0आर0/2017-18,दिनांक-03.07.2017 व 1075/डी0एल0आर0सी0/2018-19, दिनांक-17.12.2018 के क्रम में ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
महेन्द्र सिंह
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।